फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी चाकसू

जेमीचंद बनाम कैलाश

संख्या /वर्ष : 285 /2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
8/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी सं. (12) की ओर अग्रिम वाहेती व अप्रार्थी सं. 7, 4, 22, 11, 18, 3, 13, 8, 9, 6, 21, 14, 5, 20, 10 व (2) की ओर से रमेश चौधरी हाजिर। शेष अप्रार्थीगण बावजूद Reg. सूचना के गैर हाजिर हैं। अतः उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही जाती है। बहस उभयपक्षों की प्रा. पत्र पर सुनी गई। बहस सुनने के उपरान्त हम पाते हैं कि प्रार्थी व अप्रार्थी सहखातेदार हैं व विवादित भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अतः वाद की बहुलता को बनाए रखने व वाद की विषय वस्तु को बनाए रखने के लिए प्रा. पत्र के चरण सं. (2) में उल्लेखित भूमि पर उभयपक्षों को ताकैसलवाद मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली कैलेन्डर शुमार होकर दर्ज नम्बर लेकर हो। उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)	